भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 388

सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन

388. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन में सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा बंधित श्रम पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सीधी जिम्मेदारी है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 27.01.2022 से 'बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना-2021' भी कार्यान्वित की है। यह एक मांग आधारित योजना है जहाँ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें धन उपलब्ध कराया जाता है।

सरकार ने वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के माध्यम से देश में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है, जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, तत्काल वित्तीय सहायता, मामलों का लंबित होना, पुनर्वास सहायता आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
